भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *492**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

***492. श्री दिलीप शइकीया :**
श्री रमेश चन्द्र कौशिक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा घरेलू व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों में व्यावसायिक कार्यकलापों में वास्तविक अवसंरचना तथा सेवाओं के प्रबंधन को कितना विकसित किया जा रहा है;

(ग) घरेलू स्रोतों से आर्थिक कार्यकलापों के सृजन, निर्यात एवं सेवा संवर्धन तथा निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास हेतु आर्थिक जोन की इकाइयों की कार्य-योजना क्या है; और

(घ) विशेषकर असम राज्य सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ-साथ देश के सभी राज्यों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्तमान में तैयार हैं और प्रचालनरत हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन" के संबंध में 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 492 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय कंपनियों की भागीदारी का आयोजन करता है और बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) दोनों घरेलू व्यापार मेलों का भी आयोजन करता है ताकि ब्रांड लॉन्च, संवर्धन,स्थापन और नए व्यापार गठजोड़ के साथ-साथ खुदरा बिक्री के लिए पूरे देश में भारतीय कंपनियों को साझा मंच प्रदान किया जा सके। आईटीपीओ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करता है। आईटीपीओ विभिन्न उद्योगों/सेक्टरों से संबंधित आयोजकों को प्रगति मैदान में खाली जगह (हॉल आदि) और सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे विभिन्न प्रदर्शनी कंपनियों को विदेशी प्रतिभागियों सहित इन प्रदर्शनियों में आने वाले अपने संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद/सेवाएं दिखाने में मदद करता है। इससे भारतीय कंपनियों को अपने व्यापार नेटवर्क का निर्माण करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के खरीदारों से ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलती है।

आईटीपीओ ने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मलेन केंद्र (आईईसीसी) की चल रही परियोजना के एक भाग के रूप में 50,000 वर्ग मीटर के अत्याधुनिक वातानुकूलित प्रदर्शनी स्थान के साथ एक नया प्रदर्शनी परिसर (हॉल 2-5) भी निर्मित किया है। इन हॉलों का 13 अक्टूबर, 2021 को शुभारंभ किया गया था।

(ख) : भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी राज्यों में निर्यात से जुड़ी अवसंरचना जैसे सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्रों,ड्राई पोर्ट्स, निर्यात मालगोदाम और पैकेजिंग, एसईजेड, पत्तन/विमानपत्तन कार्गो टर्मिनस, और निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसका उपयोग कई निर्यातकों द्वारा किया जा सकता है, के विकास में सहायता करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' के नाम से एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

वर्तमान में, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय (एनईसी) तीन स्कीमों अर्थात "एनईसी की स्कीम", "पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस)", "संसाधनों का गैर-व्यपगत पूल-केंद्रीय (एनएलसीपीआर-सी)" को लागू करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से, एनईसी द्वारा "पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)" नामक एक अन्य स्कीम लागू की जाएगी। इन स्कीमों के तहत, एनईआर की भौतिक अवसंरचना सहित समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए परियोजनाओं को महत्वपूर्ण अंतर-वित्त पोषण, लेकिन अनन्य रूप से व्यवसाय के लिए नहीं, के रूप में सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एनईसी की स्कीमों के तहत

व्यापार/उद्यमिता गतिविधियों के विकास के लिए 18.25 करोड़ रुपये की लागत की 7 परियोजनाएं हैं। सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश प्रेरित पहलें हैं। सरकार एसइजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय करती है। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, निर्यात और सेवाओं का संवर्धन करने और घरेलू स्रोतों से निवेश के संवर्धन के साथ-साथ एसईजेड में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एसईजेड विकासकों/इकाइयों हेतु कई उपाय किए हैं, जैसा कि **अनुबंध-II** में वर्णित है।

(घ): देश में पूर्वोत्तर राज्यों में 4 सहित 375 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हैं, जिनमें से 268 एसईजेड परिचालन में हैं। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई एसईजेड परिचालन में नहीं है और असम में कोई एसईजेड नहीं है।

****

अनुबंध -I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता/व्यवसाय से संबंधित चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	स्कीम	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जोटे में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	26-11-2012	2.30
2	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	3.01
3	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	3.02
4	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	3.00
5	मेघालय	सोहपरू , पश्चिम खासी हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	2.96
6	नागालैंड	मशीनरी, प्रसंस्करण और व्यवसाय प्रबंधन पर कौशल प्रशिक्षण, नागालैंड	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-09-2020	1.98
7	नागालैंड	नागालैंड के सभी 11 जिलों को कवर करने वाले उपकरणों और मशीनरी के रखरखाव और मरम्मत में 1100 युवाओं / उद्यमियों को प्रशिक्षित करें	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-09-2020	1.98
कुल						18.25

अनुबंध-II

एसईजेड में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के उपाय:

1. निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंड की गणना के तरीके की समीक्षा की गई और दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा उसमें संशोधन किया गया।
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए इसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए निवल विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53ए अंतर्वेशित किया गया है।
3. एसईजेड को सेवाओं की एक समान सूची जो इनपुट सेवाओं की एक विस्तृत सूची है जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के परिचालन के लिए किया जा सकता है, जिससे ऐसे प्रत्येक मामले के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने के लिए इकाइयों की आवश्यकता से बचा जा सकता है।
4. एसईजेड इकाइयों को अनुमत कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशु-गृह और अन्य समान सुविधाओं की स्थापना।
5. विकास आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार में एसईजेड इकाई को एक एसईजेड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।
6. आईटी/आईटीइएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए मार्च-2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन।
7. एफटीडब्ल्यूजेड में पड़े परित्यक्त माल/अनिकासित कार्गो की मंजूरी के लिए दिशानिर्देश।
8. एन्क्लेव के लिए "डी-नोटिफाई" प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना और केवल एसईजेड के उद्देश्य के लिए इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को अलग करना।
9. विनिर्माण क्षेत्र की सेवाकरण को सक्षम बनाने के लिए सहायता। विनिर्माण समर्थ सेवा कंपनियों जैसे अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, लॉजिस्टिक सेवा को अनुमति देना।
10. विकासकर्ताओं को राज्य की नीतियों के अनुरूप क्षेत्रों में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौते में प्रवेश करने के लिए लचीलेपन की अनुमति है।
11. एक सह-विकासकर्ता से दूसरे सह-विकासकर्ता को अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाना।
12. एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य संस्था को समर्थ बनाने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 [धारा 2 (फ)] में संशोधन।
13. मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति पर ड्राबैक और किसी भी अन्य समान लाभ की स्वीकार्यता के संबंध में दिनांक 23.10.2020 के संशोधन द्वारा एक परंतुक सेज नियमों के नियम 24(3) में जोड़ा गया है।
14. एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21ए अंतर्विष्ट किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई स्थापित करने में समर्थ बनाता है।

15. इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ऊर्जा दिशा-निर्देश, 2016 में संशोधन किया गया है, जिसमें एक इकाई को अपने परिसर में गैर-पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों को कैप्टिव खपत के अनन्य उद्देश्य के लिए इस शर्त के अधीन स्थापित करने की अनुमति दी गई है कि एसईजेडअधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत गैर-कर/शुल्क लाभ निर्धारित किया गया है ।

16. दिनांक 27 मई, 2021 को एसईजेड/ईओयू में पुराने/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106, जारी किए गए थे।

17. सभी विकास आयुक्तों को फार्मा उद्योग के लिए विनियामक अनुपालन कम करने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को निर्देश संख्या 107 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ एफएसएसएआई के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।

18. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित निर्देश संख्या 108 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया है।

19. दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को निर्देश संख्या 109 जारी किए गए है जिसमें प्रावधान है कि नाम परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय अनुमोदित विलय और डीमर्जर, संरचना में परिवर्तन, निदेशकों के परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प का चयन नहीं करेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे और एक चल रही संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

****